न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 104 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा		सरपंच ग्राम पंचायत मण्डापुरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970

उपस्थित 1. पेशकार सरकार तहसीलदार, पचपदरा स्वंय
2. सरपंच ग्राम पंचायत मण्डापुरा

दिनांक 16.04.2021

आदेश

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि / खातेदारी भूमि में वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते / ग्रेवल सडक / डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ता सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम मण्डापुरा में एक ग्रेवल सडक / डामर सडक / बारहमासी मार्ग जो भी [illegible] वर्तमान में चल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 से कब्रिस्तान होते हुए कटान रास्ता तक ग्राम सिन्धियों की ढाणी के खसरा नम्बर 1651 / 3 रकबा 257–07 बीघा में से 6–00 बीघा भूमि में रास्ता चल रहा है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट अ के रूप में एवं नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग पीला में किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 से कब्रिस्तान होते हुए कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी संख्या 01 को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विप्रार्थी सरपच ग्राम पंचायत मंडापुरा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए स्वीकारोक्ती जवाब पेश किया गया तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नही होना [illegible]

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये [illegible] को बहस सुनी गई एव पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] अवलोकन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार [illegible] आदेश क्रमांक प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि / खातेदारी [illegible] मे चल रहे, बारहमासी रास्ते / ग्रेवल सडक / डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ता सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 18:53:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा